प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0/NP/HIV-AIDS/18/2017–18/3529 दिनांक 12-07-17

विषयः– वर्ष 2017–18 में उपयोग/व्यय किये जाने हेतु FMR code no B14.25 के अन्तर्गत जनपदों को अवमुक्त कमिटेड धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र सं0–एड्स सोसा0/IEC-MS-CST/NHM/573 दिनांक 19.06.2017 का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा एफ.एम.आर. कोड सं0–बी.14.25 में रू0 100/Patient/Visit की दर से रू0 570.21 लाख की कमिटेड धनराशि 36 जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जनपदों को अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

2. अवगत कराना है कि आपके प्रस्ताव के क्रम में Free transport facilities to PLHIV for treatment हेतु एफ.एम.आर. कोड सं0–बी.14.25 में वर्ष 2017–18 में उपयोग/व्यय किये जाने के लिये कमिटेड करायी गयी रू0 644.85 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 570.21 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 06.07.2017 को निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त कर दी गयी है–

Fund Allocation to Districts under FMR Code B.14.25 for Free Transport Facilities to PLHIV for treatment (Rs.)		
SN	**Name of District**	**Total Release to districts**
1	Agra	2832660.00
2	Aligarh	1590743.00
3	Allahabad	2826063.00
4	Ambedkar Nagar	0
5	Amethi	0
6	Amroha (JP Nagar)	0
7	Auraiya	0
8	Azamgarh	3194680.00
9	Baghpat	0
10	Bahraich	404077.00
11	Ballia	986277.00
12	Balrampur	479120.00
13	Banda	344702.00
14	barabanki	0
15	Bareilly	809803.00
16	Basti	1693824.00
17	Bijnor	375214.00
18	Budaun	0
19	Bulandshahar	0
20	Chandauli	0
21	Chitrakoot	0
22	Deoria	3015732.00

--2

Fund Allocation to Districts under FMR Code B.14.25 for Free Transport Facilities to PLHIV for treatment (Rs.)		
SN	Name of District	Total Release to districts
23	Etah	0
24	Etawah	832893.00
25	Faizabad	1260884.00
26	Farukkhabad	0
27	Fatehpur	0
28	Firozabad	0
29	Gautam Buddha Nagar	0
30	Ghaziabad	865054.00
31	Ghazipur	817225.00
32	Gonda	918656.00
33	Gorakhpur	3143552.00
34	Hamirpur	0
35	Hapur	0
36	Hardoi	0
37	Hathras	0
38	Jalaun	250693.00
39	Jaunpur	2344470.00
40	Jhansi	712494.00
41	Kannauj	0
42	Kanpur Dehat	0
43	Kanpur Nagar	3280443.00
44	Kasganj	0
45	Kaushambi	0
46	Kushi Nagar (Padrauna)	1355719.00
47	Lakhimpur Kheri	0
48	Lalitpur	0
49	Lucknow	2248811.00
50	Maharajganj	824646.00
51	Mahoba	0
52	Mainpuri	0
53	Mathura	564058.00
54	MAU	910410.00
55	Meerut	5510287.00
56	MIRZAPUR	0
57	Moradabad	1149557.00
58	Muzaffar Nagar	668788.00
59	Pilibhit	0
60	Pratapgarh	1188315.00
61	Raebareli	486541.00
62	Rampur	0
63	Saharanpur	708371.00
64	Sambhal	0
65	Sant Kabir Nagar	0
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	0
67	Shahjahanpur	0
68	Shamali	0
69	Shrawasti	0
70	Siddharth Nagar	1604762.00

---3

Fund Allocation to Districts under FMR Code B.14.25 for Free Transport Facilities to PLHIV for treatment (Rs.)		
SN	**Name of District**	**Total Release to districts**
71	Sitapur	0
72	Sonbhadra	0
73	Sultanpur	558286.00
74	Unnao	0
75	Varanasi	6263190.00
Grand Total		**57021000.00**

3. आपसे अनुरोध है कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार व्यय/उपयोग हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को महानिदेशक स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें तथा निम्नलिखित बिन्दुओं को दिशा–निर्देश में समाहित कराने का भी कष्ट करें–

I. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।

II. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

III. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

IV. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

V. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

VI. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

VII. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

VIII. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

IX. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

---4

X. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c (आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0/NP/HIV-AIDS/18/2017–18/3529-5 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद के सभी ए0आर0टी0 केन्द्रों हेतु धनराशि अविलम्ब स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।
4. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c (आलोक कुमार)
मिशन निदेशक